प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **02-10-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1- जान से मारने की नियत से हमला करने व धमकी देने के आरोपी को थाना बिलारी पुलिस द्वारा किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 30.09.2025 को वादिनी निवासी थाना बिलारी क्षेत्रान्तर्गत जनपद मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी व उसके पति के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देना व वादिनी के पति को जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से हमला करना जिससे वादिनी का पति गम्भीर रुप से घायल हो जाने के संबंध में थाना बिलारी पर तहरीर दि तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0 470/2025 धारा- 109(1)/352/351(2) बीएनएस बनाम 1.कल्याण 2.विक्रम के विरुध्द पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 02.10.2025 को थाना बिलारी पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामित/वांछित अभियुक्तगण 1.कल्याण पुत्र रामलाल 2.विक्रम पुत्र कल्याण निवासीगण मलपुर सिंधारी थाना बिलारी जनपद मुरादबाद को गिरफ्तार किया गया अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.कल्याण पुत्र रामलाल निवासी मलपुर सिंधारी थाना बिलारी जनपद मुरादबाद।
2.विक्रम पुत्र कल्याण निवासी मलपुर सिंधारी थाना बिलारी जनपद मुरादबाद।

बरामदगीः- निल

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1.उ0नि0 श्री विनीत कुमार थाना बिलारी जनपद मुरादबाद।
2.का0 संजीव कुमार थाना बिलारी जनपद मुरादबाद।
3.का0 नीरज कुमार थाना बिलारी जनपद मुरादबाद।

2- घर में घुसकर मारपीट व गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को थाना बिलारी पुलिस द्वारा किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 12.09.2025 को वादी हरवीर पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम गौरा शाहगढ़ थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी व वादी के भाई धर्मेन्द्र व वादी की भाभी के साथ गाली गलौच कर मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देना व अभियुक्त भानू द्वारा सरिया से वादी के भाई धर्मेन्द्र को जान से मारने की नियत से सिर में सरिया मारना जिससे धर्मेन्द्र के गम्भीर चोटें आने के संबंध में थाना बिलारी पर तहरीर दि तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0 431/2025 धारा-333/352/115(2)/351(2)/109(1) बीएनएस बनाम 1. अखिलेश 2.भानू के विरुध्द पंजीकृत किया गया । अभियुक्त भानू को बिलारी पुलिस द्वारा दिनांक 16.09.2025 को गिरफ्तार किया जा चुका है । विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 02.10.2025 को थाना बिलारी पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामित/वांछित अभियुक्तगण अखिलेश पुत्र धनीराम निवासी ग्राम गौरा शाहगढ़ थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार आरोपीः-

अखिलेश पुत्र धनीराम निवासी ग्राम गौरा शाहगढ़ थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद।

बरामदगीः- निल

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री विनीत कुमार थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद।
2.का0 संजीव कुमार थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद।
3.का0 नीरज कुमार थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद।

3- अवैध तमंचे के साथ 02 आरोपी गिरफ्तार,थाना पाकबडाः-

अवगत कराना है दिनांक 01.10.2025 की रात्रि में उ0नि0 श्री विनीत कुमार थाना पाकबडा द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी 1.ओवेन्द्र पुत्र वेदप्रकाश निवासी ग्राम डियोडी वाजिदपुर थाना डिडौली अमरोहा। 2.दुष्यन्त पुत्र महेश निवासी ग्राम डियोडी वाजिदपुर थाना डिडौली अमरोहा को अवैध 02 तमन्चे 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना पाकबडा पर मु0अ0सं0- 271/2025 धारा-3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1.ओवेन्द्र पुत्र वेदप्रकाश निवासी ग्राम डियोडी वाजिदपुर थाना डिडौली अमरोहा।

2.दुष्यन्त पुत्र महेश निवासी ग्राम डियोडी वाजिदपुर थाना डिडौली अमरोहा

बरामदगीः- 02 तमन्चे नाजायज 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर।

अभियुक्त ओवेन्द्र पुत्र वेदप्रकाश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 271/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पाकबडा मुरादाबाद।

2. मु0अ0सं0 733/2021 धारा 379/411 भादवि थाना गजरौला अमरोहा।

3. मु0अ0सं0 1083/2021 धारा 414/411 भादवि थाना मझोला मुरादाबाद।

4. मु0अ0सं0 299/2023 धारा 323/341/392/411/504/506 भादवि थाना असमौली संभल।

अभियुक्त दुष्यन्त पुत्र महेश पुत्र सलीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0सं0 271/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पाकबडा मुरादाबाद।

2.मु0अ0सं0 299/2023 धारा 323/341/392/411/504/506 भादवि थाना असमौली संभल।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.थानाध्यक्ष श्री योगेश कुमार थाना पाकबडा मुरादाबाद।

2.उ0नि0 श्री विनीत कुमार थाना पाकबडा मुरादाबाद।

3.का0 अनिल कुमार थाना पाकबडा मुरादाबाद।

4.का0 विक्रान्त थाना पाकबडा मुरादाबाद।

4- जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 15 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस **द्वारा 15 व्यक्तियों** को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

शांति व्यवस्था भंग के आरोपीगण विवरणः-

थाना पाकबडा-02, थाना गलशहीद-01, थाना बिलारी-05, थाना ठाकुरद्वारा-05, थाना सिविल लाईन-01, थाना मझोला-01